



**NO DUES CERTIFICATE**

**THIS IS TO CERTIFY THAT A/C 1142008800004888 OF MR. RAJ KUMAR TURI S/O RAMCHANDRA TURI. RESIDENT-VILL & PO SURHI PS NAWADIH DIST BOKARO HAS BEEN CLOSED ON COMPROMISE  
THERE IS NO DUES AGAINST ABOVE MENTIONED LOAN ACCOUNT.**



# कार्यालय, अंचल अधिकारी, नावाडीह(बोकारो)।

## आदेश फलक

( देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता0 ..... से 18.12.2020 तक  
जिला- बोकारो, वाद संख्या:- नीलाम पत्र वाद, सन 09/2017-18

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
8.12.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। देनदार बैंक ..... <u>PNB</u> ..... एवं कर्जदार..... <u>राजकुमार ठुरी</u> ..... दोनो अनुपस्थित है। विगत में इस कार्यालय द्वारा पत्रादेश पत्रांक- 369 दिनांक 14.08.2020 के माध्यम से सूचित करने के बावजूद देनदार बैंक के द्वारा न तो नीलाम पत्र-वाद में सहयोग किया जा रहा है, और न ही कोई प्रतिवेदन भेजा गया है। सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद विगत कई तिथियों पर अनुपस्थित रहना यह प्रदर्शित करता है कि देनदार बैंक को राशि की वापसी हेतु युक्तिसंगत रूप से तत्पर (Diligent) नहीं है। बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1974 की धारा 53(2) में प्रावधान है कि <i>the Certificate Officer may cancel any certificate filed under section 6 if the Certificate-holder is not reasonably diligent.</i> अतः न्यायालय द्वारा युक्ति-संगत सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद संबंधित लेनदार (Certificate holder) की रूचिहीनता, व अतत्परता के कारण उसके द्वारा की जाने वाली पैरवी के अभाव में उक्त Bihar &amp; Orissa Public Demands Recovery Act. 1974 की धारा 53(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये इस नीलाम पत्र वाद को निरस्त (Cancel) किया जाता है। इसकी सूचना संबंधित देनदार बैंक को दें। <u>विशुद्ध पक्ष सक्षम</u> लेखापित। <u>न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।</u></p>	

राजकुमार ठुरी  
नीलाम पत्र पदाधिकारी  
-सह-  
अंचल अधिकारी  
नावाडीह।

30/1/21 आठिलेव उपलयापित किया गया मामिला प्रतिवेदन  
प्राप्त दिनांक अनुपस्थित।

आठिलेव दिनांक 27/1/22 को उपलयापित है,

आठ आठ  
नावाडीह

27/1/22 आठिलेव उपलयापित किया गया मामिला प्रतिवेदन  
प्राप्त दिनांक अनुपस्थित।

आठिलेव दिनांक 02/02/22 को उपलयापित है.

आठ आठ  
नावाडीह

07/02/23 आठिलेव उपलयापित किया गया कोटिलेव विना मामिला  
प्राप्त।

आठिलेव दिनांक 17/02/23 को उपलयापित है;

आठ आठ  
नावाडीह

आमिलेख उपस्थापित

पक्ष अनुपस्थित, पक्ष को उपस्थित  
होने के लिए गैरिजिबिजिरी करे।

आमिलेख दिनांक 03/03/23 को  
उपस्थापित करे।

~~A~~  
A

03/03/23

आमिलेख उपस्थापित किया गया है तथा के द्वारा  
बैंक में बकाया राशि का NOC कार्यालय में तमपिन  
किया गया।

आमिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

~~A~~  
A  
03/03/2023

न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-अंचल कार्यालय, नावाडीह (बोकारो)।

अनुसूची 14 - फारम सं० 562


**आदेश पत्रक**

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..... से..... तक

जिला- बोकारो वाद संख्या..... 03 / 2017-16

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख  1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित  3
<p><u>06/04/2017</u></p>	<p>प्रबंधक..... <u>P.N.B. सुरदी</u> शाखा जिला- बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता..... ने अपने अधियाचना संख्या..... द्वारा देनदार <u>राज कुमार तुरी</u> जिला- <u>राज-चन्द्र तुरी</u> घर नं०-<u>61</u> ग्राम-<u>शंभूखोर पी०-सुरदी थाना- नावाडीह</u>..... जिला- बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि <u>33,543/-</u> की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया है। साथ ही कोर्ट की रूपये..... कुल..... रूपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है।</p> <p>अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उडिसा लोक माँग अधिनियम-4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत विधिवत सूचना (नोटिस) निर्गत करें।</p> <p>देनदार को सूचना (नोटिस) का तामिला स्थानीय थाना एवं निबंधित डाक के माध्यम से करावें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>21/04/2017</u> को उपस्थापित करें।</p> <p align="right"></p>	

5/9/19.

अपरिहार्य कारण से नोटिस तामिल नडी  
दोम के कारणसे - अगली तारीख 15/9/19 निर्धारित  
की जाती है।

*[Signature]*  
C. ONAWADIH

14/9/19.

सरकारी अवकाश पड़ने के कारण अगली तारीख निर्धारित की जाती है।

06-07-2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। देखा। पुनः नोटिस करें  
तथा दिनांक 18/8/2020 को सुनवाई हेतु उपस्थापित करें

C. ONAWADIH

*[Signature]*  
अथल अधिकारी  
नावाडीह

18-08-2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। उसमें पत्र अनुपस्थित है।  
पुनः अगली तिथि 25/8 को रखी जाती है।  
/राशि प्राप्तकर्ता दोनों को सूचित करें। अभिलेख  
दिनांक को रखें।

*[Signature]*  
अथल अधिकारी  
नावाडीह